विचार समिति प्रविधि

(Symposium Technique)

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सांगीण विकास करना है, जिसमें बौद्धिक, सामाजिक, व्यावसायिक, भावात्मक एवं व्यक्तिगत गुणों का विकास करना होता है, जिससे वह जीवन में सफल हो सके। परंतु आधुनिक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया केवल ज्ञानात्मक पक्षों का विकास करती है।

बालकों में समस्या-समाधान, विश्लेषण, संश्लेषण तथा आलोचनात्मक व सर्जनात्मक चिन्तन का विकास नहीं होता है। सामाजिक गुणों, समायोजन, सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता है। इन गुणों के विकास तथा शिक्षा के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सामूहिक क्रियायें (Group activities and discussion) एवं वाद-विवाद अधिक उपयोगी होते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों को अन्य अनुदशेन की प्रविधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

सामूहिक क्रियाओं एवं वाद-विवाद के लिये अनेकों प्रविधियाँ हैं, जैसे-सम्मेलन, विचार गोष्ठी, कार्यशाला तथा सामूहिक वाद-विवाद आदि प्रत्येक प्रविधि की अपनी विशेषता एवं उपयोगिता होती है। सम्मेलन विचार गोष्ठी तथा कार्यशाला प्रविधियों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ पर विचार समिति (Symposium) की विशेषताओं, स्वरूप एवं उपयोगिता का वर्णन किया गया है।

विचार-समिति का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Symposium): शब्द कोषों में इस शब्द सिम्पोजियम (Symposium) के अनेक अर्थ दिये गये हैं। परन्तु सर्वप्रथम प्लेटो ने एक सुन्दर आदान-प्रदान (dialogue) को सिम्पोजियम से सम्बोधित किया था, जिसमें ईश्वर के प्रति विचार प्रस्तुत किये गये थे। अन्य शब्दकोषों में इसका अर्थ उस सभा से है, जिसमें बौद्धिक मनोरंजन किया जाता है।

अधुनिक अर्थ यह है कि वह सभा जिसमें एक प्रकरण पर वक्तागण अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अन्तर्गत एक क्रम में प्रकरण से सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत करने का आयोजन किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकरण पर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करता है।

विचार-समिति की परिभाषा इस प्रकार है-

"The Symposium form serves as an excellent device for informing an audience, crystallizing opinion, and general preparing the listeners for arriving at decision, policies, value judgement or understanding."

“विचार-समिति एक ऐसा समूह है, जिसमें श्रोताओं को उत्तम प्रकार के विचारों से अवगत कराया जाता है। श्रोतागण प्रकरण सम्बन्धी सामान्य तैयारी के अपने मंझे हुए विचारों को सम्मिलित करते हैं और नीति, मूल्यों, बोधगम्यता के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं।"

विचार-समिति की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना होता है। विचार समिति किसी निर्णय पर नहीं पहँचती है।श्रोतागण अपने निर्णय ले सकने में स्वतन्त्र होते हैं। विचार समिति के अन्त में भी प्रकरण सम्बन्धी वाद-विवाद खुला रहता है। वक्ताओं एवं श्रोताओं में विचार गोष्ठी की भाँति प्रत्यक्ष रूप में अन्तःप्रक्रिया नहीं होती है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप में अन्तःप्रक्रिया होती है।

विचार-समिति के उद्देश्य (Objectives of Symposium):

विचार गोष्ठी का आयोजन अग्रलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है।

(1) किसी तात्कालिक समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी तथा उन्हें पहचानने की क्षमताओं का विकास करना।

(2) किसी प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को पहचानना और उन्हें बोधगम्य करना।

(s) प्रकरण एवं समस्या सम्बन्धी निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करना।

(4) छात्रों एवं भागीदारों (Participants) में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना।

(5) प्रकरण एवं समस्या सम्बन्धी शंकाओं एवं कठिनाइयों के समाधान एवं स्पष्टीकरण अवसर देना।

(6) विचार-समिति का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च पक्षों का विकास करना होता है।

विचार-समिति प्रविधि की प्रक्रिया (Procedure of Symposium):

विचार-समिति की व्यवस्था किसी विभाग, संस्था या संगठन द्वारा की जाती है। अनुदेशक या व्यवस्थापक विचार-समिति, प्रकरण या समस्या का निर्धारण करना, वक्ताओं को आमन्त्रित करने का आयोजन करता है। विचार-समिति के स्थान एवं तिथियों व समय का निर्धारण करता है। समस्या विभिन्न पक्षों की पहचान करके, वक्तागण उन पर प्रपत्र तैयार करते हैं। प्रत्येक वक्ता के लिये समय भी निश्चित कर दिया जाता है। विचार-समिति कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व उन्हें समय के बारे में अवगत करा दिया जाता है। वक्ताओं के भाषणों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अनुदेशक विचार-समिति की कार्यवाही के संचालन के अध्यक्ष एवं संचालक का चयन करता है। अध्यक्ष वक्ताओं को प्रस्ततीकरण के लिए निर्देश देता है और निर्धारित समय में अपना भाषण

समाप्त करने का आग्रह करता है, यदि कोई वक्ता अधिक समय लेता है, तब अध्यक्ष उससे संक्षेपीकरण के लिये आग्रह करता है। भाषण के अन्त में श्रोताओं को प्रश्न करने या वाद-विवाद करने या अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता है। विचार-समिति में प्रत्यक्ष रूप से अन्तःप्रक्रिया (Direct Interaction), का अवसर नहीं दिया जाता है। वक्तागण अपने प्रवचन में पूर्व वक्ता के विचारों की पुष्टि या आलोचना करता है। उसके विचारों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। वक्तागण अपने प्रवचन में सुधार या परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार वक्ताओं में अप्रत्यक्ष रूप में अन्तःप्रक्रिया होती है।

अध्यक्ष का कर्तव्य यह होता है कि वह वक्ताओं के प्रवचनों को इस प्रकार व्यवस्थित करे, जिससे समस्या का प्रकरण के व्यापक स्वरूप को श्रोताओं को बोध हो सके। प्रस्तुतीकरण में क्रमिक सम्बन्ध स्थापित करता है। एक-एक करके सभी वक्ता अपने-अपने विचार को निर्धारित समय में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक वक्ता के प्रवचन के अन्त में अध्यक्ष उसकी समीक्षा करता है, तदोपरान्त अन्यवक्ता को प्रवचन देने के लिए आग्रह करता है तथा उनके प्रस्तुतीकरण सम्बन्ध स्थापित करता है। अपने विचारों को भी सम्मिलित करता है।

सभी वक्ताओं के प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष एक समीक्षा प्रस्तुत करता है। समस्त प्रस्तुतीकरण का आलेख भी तैयार किया जाता है। लिखित रूप में भी आख्या प्रस्तुत की जाती है। प्रपत्र के रूप में सभी श्रोताओं एवं वक्ताओं को वितरित कर दी जाती हैं। विचार-समिति में अन्तःप्रक्रिया का अवसर नहीं होता है, अपितु वक्ताओं के प्रवचनों एवं विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जो वक्ता प्रकरण एवं समस्या के पक्ष में बोलता है वह अध्यक्ष के एक ओर तथा विरोधी विचार वाला दूसरी ओर खड़ा होता है।

विचार-समिति के लिए सावधानियाँ (Precautions for Symposium):

विचार-समिति की व्यवस्था में तीन प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिएं-

प्रथम सावधानी यह अनुदेशक/व्यवस्थापक को रखनी चाहिए कि वक्ताओं ने अपने प्रवचनों को तैयार कर लिया है। वे विचार-समिति की प्रक्रिया व प्रस्तुतीकरण के नियमों से भी रचित हैं। अन्य वक्ताओं के विचारों की उन्हें पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए।

द्वितीय सावधानी यह रखनी चाहिए कि अध्यक्ष या अनुदेशक कार्य की एक रूपरेखा तैयार कर ले। वक्ताओं के प्रवचनों को एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। प्रकरण सम्बन्धी किसी महत्वपूर्ण विरोधी विचार को छोड़ना नहीं चाहिए।

तृतीय सावधानी प्रश्नों की परिस्थितियों की अवस्था का सावधानी से आयोजन करना चाहिए। साधारणतः सभी वक्ताओं के अन्त में प्रश्नों एवं स्पष्टीकरण के लिए अवसर देना चाहिए। कभी-कभी वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए भी प्रश्नों के लिए अध्यक्ष अवसर देता है।

विचार-समिति का आयोजन विचार गोष्ठी से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। विचार गोष्ठी में प्रत्यक्ष रूप में अन्तःप्रक्रिया होती है, जबकि विचार-समिति में अप्रत्यक्ष रूप में हो पाती है। विचारगोष्ठी के प्रकरण के अन्त में किसी निर्णय पर पहुँचते हैं, जबकि विचार-समिति में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, अपितु वक्तागण और श्रोतागण अपने-अपने ढंग से कुछ निर्णय ले लेते हैं। उनके निर्णयों में भिन्नता अधिक होती है, क्योंकि सभी का कोई एक मत या निष्कर्ष नहीं होता है।

विचार-समिति के उपयोग का क्षेत्र (Scope for the Use of Symposium)

विचार-समिति का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कक्षा के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिये किया जा सकता है। कुछ प्रमुख प्रकरण इस प्रकार हैं-

(1) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं निबन्धात्मक प्रश्नों का उपयोग।

(2) शिक्षा में सत्र प्रणाली एवं वार्षिक प्रणाली।

(3) छात्रों में अनुशासनहीनता के कारण।

(4) शोध कार्यों में गुणात्मक विकास।

(5) अध्यापक शिक्षा में छात्र शिक्षण की उपादेयता।

(6) कक्षा-शिक्षण एवं अनुदेशन में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग।

(7) छात्रों के लिए दूरदर्शन की उपादेयता।

(8) कक्षा-शिक्षण में क्रियात्मक अनुसन्धान का उपयोग।

(9) सूक्ष्म-शिक्षण का प्रशिक्षण-संस्थानों में प्रयोग।

(10) टोली-शिक्षण का विद्यालयों में उपयोग।

विचार-समिति का प्रकरण ऐसा होना चाहिए, जिसमें श्रोतागणों को अधिक रुचि हो और उनसे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध हो।

विचार-समिति की विशेषताएँ (Characteristics of Symposium)

विचार-समिति की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

(1) किसी प्रकरण एवं समस्या के विभिन्न पक्षों का व्यापक रूप में बोध होता है।

(2) श्रोतागणों को निर्णय लेने की स्वतन्त्रता होती है तथा वक्ताओं को प्रकरण सम्बन्धी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता दी जाती है।

(3) उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रकरणों तथा समस्याओं के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी हो जाती है।

(4) समायोजन तथा सहयोग की भावनाओं का विकास किया जाता है।

(5) मूल्यांकन तथा संश्लेषण की क्षमताओं का विकास किया जाता है।

(6) प्रकरण या समस्या सम्बन्धी दोनों प्रकार के विरोधी तथा पक्षीय विचारों को सनने तथा जानने का अवसर मिलता है।

विचार-समिति की सीमाएँ (Limitations of Symposium)

(1) विचार-समिति में जो वक्तागण को प्रवचन के लिए आमन्त्रित किये जाते हैं, उन्हें प्रस्तुतीकरण की स्वतन्त्रता दी जाती है, उन पर अध्यक्ष का नियन्त्रण नहीं हैं। वह किसी भी पक्ष पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) वक्तागण के प्रवचनों में कभी-कभी पाठ्य-वस्तु की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि वह प्रकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रकरणों के विभिन्न पक्षों को क्रमशः तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में श्रोताओं को प्रकरण के वोधगम्य करने में कठिनाई होती है।

(3) प्रकरण सम्बन्धी दोनों प्रकार के विचार साथ-साथ प्रस्तुत किये जाते हैं, ऐसी स्थिति में श्रोतागण प्रकरण या समस्या की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं।

(4) विचार-समिति में प्रश्नों एवं स्पष्टीकरण को अवसर नहीं दिया जाता है। अतः श्रोतागण अधिक सक्रिय रूप में भाग नहीं लेते हैं, वे केवल सुनते रहते हैं।

(5) विचार-समिति में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता है। श्रोतागण अपने-अपने ढंग से निर्णय लेते हैं। अतः इस विधि को परिपक्व व्यक्तियों के लिये ही प्रयुक्त किया जा सकता है।

(6) विचार-समिति में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को ही महत्व दिया जाता है, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।